

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-24072026-274769
SG-DL-E-24072026-274769असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 190]	दिल्ली, बुधवार, जुलाई 15, 2026/आषाढ 24, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 114
No. 190]	DELHI, WEDNESDAY, JULY 15, 2026/ASHADHA 24, 1948	[N. C. T. D. No. 114

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 15 जुलाई, 2026

फा.सं.13 (228)/श0वि0/एमबी/2018/सीडी-021482205/1101.—दिल्ली पटरी विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन) नियमावली, 2017 के नियम 4 के साथ पठित पटरी विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को स्थानीय प्राधिकरणों अर्थात् दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर परिषद् तथा दिल्ली छावनी बोर्ड के लिए गठित की जाने वाली शिकायत निवारण एवं विवाद समाधान समिति में नियुक्ति हेतु नामित करती है, अर्थात्:—

1. श्री अजय कुमार जैन, डीएचजेएस (सेवानिवृत्त) — अध्यक्ष;
2. श्री विनय कुमार, आईएस (सेवानिवृत्त) — पेशेवर सदस्य;
3. पटरी विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 की धारा 20 तथा दिल्ली पटरी विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन) नियमावली, 2017 के नियम 4 के अंतर्गत अपेक्षित एक अतिरिक्त पेशेवर सदस्य की नामांकन/नियुक्ति पृथक रूप से अधिसूचित की जाएगी।

4. अध्यक्ष एवं सदस्य, समय-समय पर यथासंशोधित पटरी विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 तथा पटरी विक्रेता (आजीविका संरक्षण और पटरी विक्रय विनियमन) नियमावली, 2017 के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे।
5. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

मनोज कुमार द्विवेदी, विशेष सचिव

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 15th July, 2026

F. No. 13(228)/UD/MB/2018/CD-021482205/ 1101.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 read with Rule 4 of the Delhi Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2017, the Government of National Capital Territory of Delhi hereby nominates the following persons for appointment to the Grievance Redressal and Dispute Resolution Committee proposed to be constituted for the local authorities namely, the Municipal Corporation of Delhi, the New Delhi Municipal Council and the Delhi Cantonment Board:

1. Shri Ajay Kumar Jain, DHJS (Retd.) - Chairperson;
2. Shri Vinay Kumar, IAS (Retd.) - Professional Member.
3. The nomination/appointment of one additional Professional Member, as required under Section 20 of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 and Rule 4 of the Delhi Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2017, shall be notified separately.
4. The Chairperson and Members shall be governed by the provisions of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 and the Delhi Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Rules, 2017, as amended from time to time.
5. This notification shall come into force with immediate effect.

MANOJ KUMAR DWIVEDI, Special Secy.